भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1064
08फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य

1064. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों द्वारा अपने सभी उत्पादों का समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की जा रही मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसे नहीं मानने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार किसानों की पीड़ा को दूर करने के लिए समर्थन मूल्य स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : भारत सरकार कृषि लागत मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दोनों फसल मौसमों में प्रत्येक वर्ष उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। इसके अलावा, तोरिया एवं सरसों तथा खोपरा के एमएसपी के आधार पर क्रमशः तोरिया एवं छिलका रहित नारियल के लिए भी एमएसपी तय की जाती है। सरकार अपनी विभिन्न हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य भी प्रदान करती है। इसके अलावा, समग्र बाजार एमएसपी की घोषणा और सरकार के खरीद कार्यों के प्रति भी प्रतिक्रिया करता है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी पर या उससे अधिक मूल्य पर निजी खरीद की जाती है।

सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा एफसीआई के परामर्श से विभिन्न प्रकार के पोषक-अनाज व मक्का की खरीद स्वयं उस सीमा तक खरीदे जाते हैं जिसका उपयोग संबंधित राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण हेतु किया जा सके।

संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) नामक अम्ब्रेला योजना के तहत इसके निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाले तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद की जाती है। सरकार भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर कपास और पटसन की खरीद भी करती है।

सरकार ने एमएसपी पर धान और गेहूं के लिए खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान धान की 895.83 एलएमटी मात्रा की खरीद की गई थी जिससे लगभग 131.12 लाख किसान लाभान्वित हुए तथा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान धान की 642.30 एलएमटी मात्रा (दिनांक 01.02.2022 की स्थिति के अनुसार) की खरीद की गई थी जिससे 83.76 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसी प्रकार रबी विपणन मौसम 2020-21 के दौरान 389.93 एमएलटी गेहूं की खरीद की गई थी जिससे लगभग 43.36 लाख किसान लाभान्वित हुए तथा रबी विपणन मौसम 2021-22 के दौरान 433.44 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी जिससे लगभग 49.19 लाख किसान लाभान्वित हुए। वैसे ही वर्ष 2020-21 के दौरान 11.12 एलएमटी तिलहन व दलहन की खरीद की गई थी जिससे 6.56 लाख किसान लाभान्वित हुए।

एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रभावी खरीद करने और किसानों को एमएसपी का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों और नैफेड, एफसीआई आदि जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा तथा भंडारण और परिवहन आदि जैसी अन्य संभारतंत्रीय/बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अलावा किसानों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं।

*****